

# कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या- /ई०सी०-1/एन०डी०/2026

दिनांक-3/01/2026

:- सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-24/71-1001/004/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त शिक्षिका शिक्षकों के पदों को संविदा के अन्तर्गत पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/तैनाती व अयोग्यियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापित संख्या-100/एन०डी०/2025 दिनांक 25-06-2025 के संदर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/ट्रामा सेक्टर के अन्तर्गत संविदा के अन्तर्गत पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके आधार पर रोपी के उपचार/एन०एम०सी० (एन०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु द्वारा शिक्षिका महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एफ०एफ०एफ०एफ०एफ०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के अन्तर्गत पर गये जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अयोग्यियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के परवात माह के प्रत्येक शुक्रवार दिनांक 16-01-2026 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अयोग्यियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह साक्षात्कार के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की माइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजिडेंसी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एफ०ई०टी०/पी०सी०पी०आर० प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। शिक्षिका शिक्षकों के पदों की शिक्तियों एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट [www.gssmmmedical.college.com](http://www.gssmmmedical.college.com) पर उपलब्ध हैं। पदों की संख्या घट बढ सकती है।

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम	संविदा शिक्षिका शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर क्रमांक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर क्रमांक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	सेक्टर क्रमांक
1	आध्यापिका	1	ओ०बी०सी०	(3)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ए०सी०	(101)
					1	अनारक्षित	(58)	1	अनारक्षित	(102)
2	आध्यक्षमोलोंजी	0	0	0	1	ए०सी०	(59)	1	अनारक्षित	(104)
					1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(60)	1	ए०सी०	(105)
								1	ओ०बी०सी०	(175)
3	आइएलएडिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	0	0	0	1	अनारक्षित	(65)	0	0	0
4	इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	1	अनारक्षित	(54)	0	0	0	0	0	0
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(66)	1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(110)
					1	ओ०बी०सी०	(67)	1	ए०सी०	(111)
								1	अनारक्षित	(112)
6	एन्डोकार्डियोलॉजी (पी०एफ०एफ०एफ०एफ०)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(37)	1	ए०सी०	(59)
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(40)
								1	ओ०बी०सी०	(51)
								1	अनारक्षित	(78)
								1	अनारक्षित	(86)
								1	ओ०बी०सी०	(87)
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित	(8)	1	ए०सी०	(11)
					1	ओ०बी०सी०	(9)	1	ओ०बी०सी०	(13)
					1	अनारक्षित	(68)	1	अनारक्षित	(14)
					1	ए०सी०	(69)	1	ए०सी०	(15)
					1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(70)	1	ओ०बी०सी०	(60)
					1	ओ०बी०सी०	(71)	1	ओ०बी०सी०	(113)
					1	अनारक्षित	(72)	1	ओ०बी०सी०	(119)
9	एनेस्थीसियोलॉजी (पी०एफ०एफ०एफ०एफ०)	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	ओ०बी०सी०	(38)	1	ओ०बी०सी०	(61)
10	ऑटो लैरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(120)
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(18)
								1	ओ०बी०सी०	(19)
								1	ओ०बी०सी०	(81)
								1	ए०सी०	(121)
								1	अनारक्षित	(122)
								1	ए०सी०	(159)
								1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(160)
12	डिजिटल केयर (पी०एफ०एफ०एफ०एफ०)	1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(40)	0	0	0	1	अनारक्षित	(62)
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(42)	1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(20)
					1	अनारक्षित	(76)	1	ए०सी०	(41)
					1	ओ०बी०सी०	(77)	1	ए०सी०	(47)
					1	अनारक्षित	(78)	1	अनारक्षित	(52)
					1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(90)	1	ए०सी०	(53)
					1	ओ०बी०सी०	(91)	1	अनारक्षित	(54)
					1	अनारक्षित	(104)	1	ए०सी०	(63)
					1	ए०सी०	(105)	1	अनारक्षित	(64)
					1	ए०सी०	(91)	1	ओ०बी०सी०	(123)
								1	अनारक्षित	(124)
								1	ए०सी०	(125)
								1	अनारक्षित	(126)
								1	ओ०बी०सी०	(127)
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	अनारक्षित	(84)	1	अनारक्षित	(24)
					1	ओ०बी०सी०	(85)	1	ओ०बी०सी०	(44)
					1	ओ०बी०सी०	(87)	1	ओ०बी०सी०	(65)
					1	अनारक्षित	(88)	1	ए०सी०	(99)
					1	ए०सी०	(89)	1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(100)
								1	ओ०बी०सी०	(129)
								1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(130)
								1	ए०सी०	(131)
								1	ओ०बी०सी०	(165)
								1	अनारक्षित	(166)
								1	ओ०बी०सी०	(167)
								1	ए०सी०	(169)
15	दृष्टिकर्तासिंस एण्ड रीस्पैरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(54)	1	ओ०बी०सी०	(133)
					1	ई०डब्ल्यू०ए०सी०	(90)			
					1	अनारक्षित	(106)			
16	डरमिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(65)	0	0	0	1	ए०सी०	(135)
								1	अनारक्षित	(176)
17	सेक्टर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	न्यूरोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	न्यूरोसर्जरी	1	ए०सी०	(25)	0	0	0	0	0	0
		1	अनारक्षित	(26)						
	न्यूरो एनेस्थीसिया	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(43)	0	0	0
	न्यूरो पैथोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(68)
20	न्यूरो रेडियोलॉजी (पी०एफ०एफ०एफ०एफ०)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0

21	नेफोलोजी, (मेडिसिन) नेफोलॉजी(पीएमएसएसवाई)	1 0	ओपीसी 0	(27) 0	0	0	0	0	0	0	0	
22	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	एसओसी अनारक्षित ओपीसी	(93) (94) (95)	1 1 1	0	0	0	
23	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एसओसी	(45)	1	एसओटी	(47)	1	0	0	0	
24	पेनोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	फार्माकालोजी	1	एसओसी	(49)	1	एसओसी	(25)	1	1	1	1	
26	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0	0	
27	फार्मसी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
29	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	1	1	1	
30	बायोकेमिस्ट्री	0	0	0	1	अनारक्षित	(96)	0	0	0	0	
31	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
32	मेडिकल मैटेरियोलॉजी	1	एसओटी	(47)	0	0	0	1	0	0	0	
33	यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0	0	0	0	0	
33	रेडियोलॉजी	1	ओपीसी	(37)	1	ईओडब्ल्यूएसओ अनारक्षित एसओसी ईओडब्ल्यूएसओ एसओसी अनारक्षित	(90) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1	1	1	1	1
34	साइक्रिट्री	1	अनारक्षित	(66)	1	अनारक्षित	(108)	0	0	0	0	
		17			49			85				

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत है:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹0-2,20,000/-, सहायक आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु ₹0 75000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्थात् तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थात् को पूर्ववर्ती अर्थात् पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहर्ता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अत्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओपीसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों को सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्थात्/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनको संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह नभिय में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के अन्त पर अपने विनिगमितोकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेगा और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी।
- उ०प्र० शासन, क्रमिक अनुक्रम-2, उ०प्र० लखनऊ के कार्यलय शाप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-11 दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ईओडब्ल्यूएसओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय ₹0 800 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नोट पर देखा जा सकता है।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अहर्ता नवीन एनओएमसीओ गाइड लाइन के अनुसार अनुमन्य होगी।
- सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- जो अभ्यर्थी एमओडी/एमएसओ के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर

सं- 16 /तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।
- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर